

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) *झांगी*



पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

दयाचन्द बनाम *रामानन्दन सहस्र*

दावा बाबत *नामदस्तावेज वी.सू. 88RTA*

मुकदमा नम्बर :- 152/2021

निर्णय दिनांक - 06/12/2021

वादी की ओर से *हनुम* की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख *06/12/2021* को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के सम्क्ष अतिन पिपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - *दावा कबली खीला*

किताबत के अन्तर्गत बृषि कृषि रोधी ग्राहक सहस्र सह के खाता नं 237 पर अंकित मामलात युग भगवानात्म के अन्तर्गत दयाचन्द युग भगवानात्म दल होने के कारण अंकित खाते में नामदस्तावेज के अन्तर्गत में अंकित में कोई विवाद उत्पन्न होना के लोसमस्त जिम्मेवारी करी की होगी तहसीलदार, चूरू उम्मानुसार राजस्व अधिकारी से उपलब्ध कराई जाएगी।

खर्चा पक्षकाराने अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख *06/12/2021* को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

06/12/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



1111
06-12-2021